निदेशालय
महानिदेशक, गृह रक्षा राजस्थान, जयपुर

फोन :– 0141–2612591, ,फैक्स : 0141–2612592, ई–मेल : sso1rajhg@hotmail.com
Website : http://rajasthanhomeguards.gov.in/

क्रमांकःगृरमु/प्रशि/टी–1( )2019–20/26392-437 दिनांकः 18/10/19

–ः परिपत्र ः–

गृह रक्षा स्वयं सेवको की पुर्न नियुक्ति (नवीनीकरण) करने के सम्बन्ध मे इस मुख्यालय द्वारा पूर्व मे जारी परिपत्र क्रमांक गृरमु/प्रशि./टी–1(1–1)90/26151–220 दिनांक 07.07.2007 का व्यतिक्रमण करते हुऐ निम्नानुसार नीति निर्धारित की जाती है :–

1. सभी स्वयं सेवको के ध्यान मे लाया जावे कि गृह रक्षा नियम 1962 के नियम 8 (2) के अनुसार गृह रक्षा स्वयं सेवक की 55 वर्ष आयु पूर्ण होने पर 05 वर्ष सदस्यता अवधि मे अधिकतम 05 वर्ष वृद्वि की जा सकती है। गृह रक्षा संगठन बिना ठोस एवं वैध आधार के स्वयं सेवक की सदस्यता अवधि मे वृद्वि करने के लिये बाध्य नही है। अन्य सभी पहलुओं पर विचार एवं समीक्षा के पश्चात ही स्वयं सेवको के नवीनीकरण हेतु विचार किया जावे।

2. पुनर्नियुक्ति (नवीनीकरण) की कार्यवाही सदस्यता अवधि समाप्त होने से 02 माह पूर्व प्रारम्भ की जावे। अर्थात जिन स्वयं सेवको की सदस्यता अवधि आगामी 02 माह मे समाप्त हो रही है उनकी सूची 02 माह पूर्व कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा की जावे तथा स्वयं सेवको की मासिक सर्म्पक सभा के दौरान उनको अवगत कराया जावे, जिससे स्वयं सेवक समय पर नवीनीकरण हेतु आवेदन पत्र कार्यालय मे प्रस्ततु कर सके। नवीनीकरण हेतु प्रार्थना पत्र मय शारीरिक दक्षता प्रमाण पत्र, मैडिकल फिटनेस प्रमाण पत्र (राजकीय चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी) एवं सम्बन्धित थाने से पुलिस तस्दीक सहित स्वयं सवको द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र को कार्यालय के रिसिप्ट रजिस्टर मे दर्ज कर प्राप्ति रसीद सम्बन्धित स्वयं सेवको दी जावे।

3. पुनर्नियुक्ति (नवीनीकरण) के समय स्वयं सेवक के विगत 05 वर्षो मे उसके द्वारा सम्पादित राजकार्य की गुणवत्ता का मुल्यांकन, अनिवार्य प्रशिक्षण, ड्यूटी एवं मासिक सम्पर्क सभा मे उपस्थिति एवं अन्य विभागीय गतिविधियों मे सक्रियता व अनुशासन आदि की भी समीक्षा की जावे और अनुशासन, कार्यकुशलता के स्तर पर प्रत्येक ड्यूटी के पश्चात दृष्ट, सूचित तथा प्रस्तुत वार्षिक मुल्यांकन रिर्पोट के आधार पर टिप्पणी अंकित की जावे। चेतावनी दिये जाने को गम्भीर माना जावे और विगत 05 वर्ष मे 02 बार या उससे अधिक बार चेतावनी दिये जाने जाने वाले स्वयं सेवको का नवीनीकरण नही किया जावे।

4 प्राप्त आवेदन पत्रों पर सेक्टर/कम्पनी कमाण्डर की अनुशंषा प्राप्त कर सदस्यता अवधि समाप्त होने से 15 दिवस पूर्व पुर्न नियुक्ति (नवीनीकरण) आदेश जारी किया जाना सुनिश्चित करे। स्वयं सेवको की अधिकतम आयु 55 वर्ष निधारिंत है।

Scanned by CamScanner

स्वयं सेवक का नवीनीकरण करते समय इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखा जावे, कि नवीनीकरण अवधि 55 वर्ष आयु से अधिक नही होनी चाहिये।

6. किसी कारणवंश (जैसे सम्बन्धित कमाण्डेन्ट के अवकाश पर रहने, अन्य कार्यालय का अतिरिक्त कार्यभार होने, राजकीय अवकाश होने तथा स्वयं सैवक द्वारा पुर्न नियुक्ति (नवीनीकरण) हेतु आवेदन/मेडीकल फीटनेस प्रमाण पत्र/पुलिस तस्दीक आदि समय पर प्रस्तुत नही करने) स्वयं सेवक की सदस्यता अवधी समाप्त होने तक भी नवीनीकरण आदेश जारी नही होने स्थिती मे प्रकरण मय कारण मुख्यालय को भिजवाया जाना सुनिश्चित करेंगे। मुख्यालय की अनुमति उपरान्त ही पुर्न नियुक्ति (नवीनीकरण) आदेश जारी किया जावे।

16.10.19
(ओ.पी.गल्होत्रा)
महानिदेशक पुलिस
गृह रक्षा राजस्थान
जयपुर

<u>प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–</u>

1. वित्तीय सलाहकार, गृह रेक्षा राजस्थान, जयपुर।
2. उप महासमादेष्टा (प्रथम/द्वितीय), गृह रक्षा राजस्थान, जयपुर।
3. समस्त गण समादेष्टा, सीमा गृह रक्षा दल, राजस्थान।
5. समस्त समादेष्टा, गृह रक्षा प्रशिक्षण केन्द्र, राजस्थान।
6. सीनियर स्टाफ ऑफिसर (प्रथम/द्वितीय) गृह रक्षा मुख्यालय, जयपुर।
7. जूनियर स्टाफ ऑफिसर/उप समादेष्टा, गृह रक्षा मुख्यालय, जयपुर।
8. शाखा प्रभारी, कम्पयूटर सैल गृह रक्षा मुख्यालय, जयपुर।

उप महासमादेष्टा
गृह रक्षा राजस्थान
जयपुर

Scanned by CamScanner